

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) ग्रा०- 08-10/2015 :-

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री जवाहर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, देवघर के विरुद्ध पंचायत भवन एवं आँगनबाड़ी भवन के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3901 दिनांक- 27.07.2015 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. दिनांक- 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण श्री मंडल के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी० में सम्परिवर्तित किया जाता है।


3. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1025 राँची / दिनांक 09-02-18

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री जवाहर प्रसाद मंडल, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, मातृ सदन, पुरनदाहा, देवघर, झारखण्ड/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8.2.18

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव